

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2408] No. 2408] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2013/आश्विन 22, 1935 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2013/ASVINA 22, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2013

का. आ. 3101(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अक्तूबर, 2013 को उस तारीख़ के रूप में नियत करती है जिसको पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 14/1/2008-आई पी आर-III] अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2013

S.O. 3101(E).—In exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby appoints the 15th day of October, 2013 as the date on which all the provisions of the Patents (Amendment) Rules, 2013 shall come into force.

[F. No. 14/1/2008-IPR-III]
ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.